न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2560–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–8–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 ईटखेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 106/अ–12/2013–14.

उसमान आत्मज रमजान खॉ
निवासी ग्राम परेवा खेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

प्रभुदयाल मीना आत्मज धनसिंह मीना
निवासी ग्राम परेवा खेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.एल. रघुवंशी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 ईटखेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 ईटखेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम परेवा खेड़ी स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की सर्वे कमांक 144/1, सर्वे कमांक 155 रकबा कमशः 0.090 हेक्टेयर एवं 1.430 हेक्टेयर भूमि का सीमाकन किये जाने का अनुरोध किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 106/अ–12/2013–14 दर्ज कर पटवारी को सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये । पटवारी द्वारा दिनांक 23–6–2014 को सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व

निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19–8–2014 को आदेश पारित कर सीमांकन आदेश की पुष्टि की गई । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सीमांकन के पूर्व आवेदक को सूचना पत्र जारी नहीं किये गये, जबकि खसरा कमांक 145/39 एवं 146/26 आवेदक के स्वामित्व की होकर, वह पड़ौसी कास्तकार है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129, 32 में वर्णित नियमों का पालन किये बिना नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत सीमांकन करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रकरण में आवेदक के नाम का उल्लेख किया है, परन्तु तामीली स्वरूप आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे प्रमाणित है कि सूचना पत्र विधि विरूद्ध रूप से स्वीकार कर लिया गया है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामा व प्रतिवेदन में इस तथ्य का उललेख नहीं किया गया है कि सीमांकन आवेदक की उपस्थिति में किया गया है, जिससे सीमांकन आवेदक की अनुपस्थिति में किया जाना प्रमाणित होता है, जबकि जबकि स्थापित विधि अनुसार पड़ौसी कास्तकारों को सूचना देना एवं पड़ौसी कास्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया जाना आज्ञापक प्रावधान है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन आवेदक की अनुपस्थिति में स्थायी चिन्हों के विपरीत किया गया है, यदि स्थायी चिन्ह मेड़, तिमेड़, स्थायी चांदे से सीमांकन किया जाता तो निशिचित ही उक्त स्थिति निर्मित नहीं होती, परन्तु ऐसा नहीं होने से सीमांकन विधि विरूद्ध होना प्रमाणित होता है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 145 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण कमांक 10/145–ज.फो./14–15 दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी आवेदक को उपरोक्त न्यायालय में पेशी दिनांक 30–6–2015 को उपस्थित होने पर हुई । तहसील न्यायालय द्वारा सूचना पत्र दिनांक 13–7–2015 आवेदक को प्रेषित किया गया, जब आवेदक तहसील न्यायालय में उपस्थित हुआ, और दस्तावेज की मांग की तो पेशी दिनांक 17–2–2015 को दस्तावेज प्राप्त होने पर उपरोक्त सीमंकन की जानकारी

प्राप्त हुई, और दिनांक 1–8–2018 को सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की जाकर निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पटवारी द्वारा सभी पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर दिनांक 23–6–2014 को सीमांकन किया गया है, और सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित था, किन्तु उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । यह भी कहा गया कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 145 के प्रकरण में आवेदक ने अनावेदक की भूमि पर काबिज होने संबंधी कथन किया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक की 2.22 एकड़ भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा 1 वर्ष विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है, और दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है । उनके द्वारा निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन की सूचना का सूचना पत्र आवेदक पर तामील हुआ है, और सूचना पत्र के पृष्ठ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, अतः इस सम्बन्ध में उसकी आपत्ति आधारहीन है । दाण्डिक प्रकिया संहिता की धारा 145 के प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से यह भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि उसके द्वारा अवैध कब्जा मान्य भी किया गया है । सीमांकन की कार्यवाही में फील्डबुक तैयार कर संलग्न की गई है । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, ऐसी स्थिति में उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 ईटखेड़ी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर